न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2023/110

1. बाबूलाल पुत्र रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
2. गोपाल (मृतक) पुत्र रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0) जर्ये कायम मुकाम–
   2/1. ओम प्रकाश पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   2/2. महावीर पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   2/3. मुकेश पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   2/4. दिनेश पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   2/5. विनोद पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   2/6. चन्द्रकान्ता पुत्री गोपाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   2/7. सुनीता पुत्री गोपाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
3. भैरूलाल आत्मज रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
4. घींसी पुत्री रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
5. मंगला पुत्री रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांटगण

बनाम

1. कृष्ण मुरारी पुत्र कुन्जबिहारी जाति ब्राहम्ण
2. पुरूषोत्तम पुत्र कुन्जबिहारी जाति ब्राहम्ण
3. निर्मला देवी पुत्री कुन्जबिहारी जाति ब्राहम्ण
4. बृजमोहन(मृतक) पुत्र कुन्जबिहारी जाति ब्राहम्ण जरिये कायम मुकाम–
   4/1. विद्यादेवी पत्नी बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी कोटा रोड इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।
   4/2. अशोक कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी कोटा रोड इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।

4/3. मधुसूदन पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी कोटा रोड इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।

4/4. उमेश कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी कोटा रोड इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।

4/5. मन्जू शर्मा पुत्री बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी कोटा रोड इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।

5. मेघराज आत्मज रामेश्वर जाति धाकड़ निवासी ग्राम शेरपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
6. मदनलाल आत्मज रामेश्वर जाति धाकड़ निवासी ग्राम शेरपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
7. परमानन्द आत्मज लक्ष्मीनारायण जाति खाती निवासी ग्राम आडागेला तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
8. मन्जु पुत्री सीताराम जाति मीणा निवासी सरोवर नगर इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
9. रूपनाथ आत्मज छीता नाथ जाति नाथ निवासी शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

—रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस—(1). घनश्याम नागर— अधिवक्ता अपीलांट

(2). हेमेन्द्र सिहं आसावत—अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1, 2, 4/2 से 4/4

निर्णय दिनांक 25.08.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 34/2022 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 13.06.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92(क), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे वर्तमान राजस्व रिकोर्ड अनुसार निम्न भूमियां स्थित है जिसे वाद पत्र मे वादग्रस्त भूमियां

कहा गया है। ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे 4 जमाबन्दी सम्वत 2074 – 77 खाता संख्या नया 140 पुराना 135 खसरा न० 1049/2820 रकबा 0.06 है०, खसरा न0 1055 रकबा 1.28 है०, खसरा न0 1058 रकबा 0.21 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.55 है०। ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे जमाबन्दी सम्वत 2074–77 खाता संख्या नया 147 पुराना 140 खसरा न० 1878 रकबा 0.25 है0, खसरा न0 3439/1877 रकबा 0.16 है०कुल किता 2 कुल रकबा 0. 41 है०। ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में जमाबन्दी सम्वत 2074–77 खाता संख्या नया 1446 पुराना 147 खसरा न० 3437/1864 रकबा 0.16 है०, खसरा न0 3438/1877 रकबा 0.28 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है०, ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे जमाबन्दी सम्वत 2074–77 खाता संख्या नया 212 पुराना 202 खसरा न० 1049 रकबा 0.39 है०। ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे जमाबन्दी सम्वत 2029–2032 के अनुसार खतौनी संख्या नयी 405 पुराना 402 खसरा न0 267 तलाव का पेटा रकबा 19 बीघा 81 बिस्वा भूमि स्थित है जो वादीगण के पिता रामसुक्खा बेटा माधो व भूरी बेवा गोपाल जाति माली बाट बराबर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसके मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2041–60 के अनुसार नये खसरा न. 1055 रकबा 2.56 है0, खसरा न.1049 रकबा 0.45 है० बनाये गए। इसी प्रकार गत राजस्व रिकोर्ड अनुसार खसरा न. 1928/1109 रकबा 9 बीघा भूमि प्रतिवादीगण कम 1 ता 4 के पिता कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्म्ण निवासी इटावा के खाते दर्ज है जिसके नये खसरा न० 1877 रकबा 0.44 है०, खसरा न० 1878 रकबा 0.25 है0 बनाये गए। नये खसरा न. वाद पत्र की मद न. 1 के अनुसार है। वादीगण के पिता रामसुक्खा व प्रतिवादी कम 1 ता 4 के पिता कुन्जबिहारी ने दिनांक 12/12/1977 को आपसी समझौते के तहत उक्त दोनो भूमियां अदल बदल कर ली और गत खसरा न0 के अनुसार खसरा न0 267 की भूमि रकबा 19 बीघा 81 बिस्वा तलाव का बेटा ग्राम इटावा जो रामसुक्खा वल्द माधो व भूरी बेवा गोपाल माली निवासी इटावा के बांट बराबर पर दर्ज है चूंकि भूरी खातेदार ने अपना 1/2 हिस्सा दिनांक 13/6/1975 को अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिया है शेष 9.5 बीघा वादीगण के पिता की प्रतिवादीगण के पिता कुन्जबिहारी जी को व प्रतिवादीगण के पिता कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल के खाते की गत रिकोर्ड अनुसार खसरा न० 1928/1109 रकबा 9 बीघा वादीगण के पिता को देने की लिखा पढ़ी हुई। लेकिन उक्त लिखा पढ़ी की पालना वादीगण व प्रतिवादीगण के पिताओ के मध्य मौके पर नही हुआ तथा प्रतिवादीगण के पिता कुन्जबिहारी पढे लिखे व शूरू से ही तहसील पीपल्दा मे डीड राइटर होने से व कानूनी जानकारी होने से व वादीगण के पिता अनपढ़ होने के कारण वादीगण की भूमि खसरा न0

267 पर कपटपूर्वक व बेईमानी से वादीगण के पिता का रहन दर्ज होने पर भी प्रतिवादी कम 1 ता 4 के पिता कुन्जबिहारी ने अपना नाम दर्ज करवा लिया तथा कुन्जबिहारी जी ने अपने खाते की भूमि गत खसरा न 1928/1109 रकबा 9 बीघा से भी अपना नाम नही हटाया और तहसील कर्मचारियो से मिलकर वादीगण व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि पर स्वंय कुन्जबिहारी जी का ही नाम दर्ज हो गया जबकि उक्त समझौते के अनुसार प्रतिवादी कम 1 ता 4 के पिता कुन्जबिहारी जी द्वारा खसरा न० 1928/1109 पर वादीगण के पिता रामसुक्खा का नाम दर्ज करवाना चाहिए था। उक्त अदल बदल की पालना आज तक नही हुई है इसलिए अनुपयोगी है, वादीगण आज भी अपनी भूमि गत खसरा न0 267 जिसके वर्तमान खसरा 1055 व 1049 पर वादीगण आज भी बदस्तूर काबिज कारत है जबकि प्रतिवादीगण दोनो भूमियों पर अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाते हुए उक्त भूमियो को खुर्द बुर्द बेचान करने पर आमादा है जबकि वादीगण की भूमि खसरा न. 1055 व 1049 पर प्रतिवादी कम 1 ता 4 के पिता कुन्जबिहारी के साथ प्रतिवादीगण का नाम राहिन (पूर्ण खाता) गोपाल, बाबू पुत्र रामसुख, जमुना बेवा रामसुवखा माली पंजाब नेशनल बैंक शाखा इटावा के नाम दर्ज है प्रतिवादीगण ने सम्पूर्ण भूमि पर अनुचित रूप से नाम दर्ज है इसलिए वादीगण को आवश्यक हो गया है कि वादीगण माननीय न्यायालय की सहायता से रिकोर्ड दुरूस्त करवाते हुए वादीगण की भूमि पर दर्ज प्रतिवादीगण के पिता का नाम कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल का नाम खाते से हटवाये व वादीगण का नाम बतौर खातेदार नाम दर्ज करवाने की घोषणा करवाये, तदर्थ वाद प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण राजस्व रिकोर्ड में गलत अंकन का फायदा उठाकर उक्त भूमि को खुर्द बुर्द हस्तान्तरण, रहन, बेचान, क्षतिग्रस्त करने पर आमादा है, वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने व निर्माण करने, पटटा बनवाने व स्वंय के नाम सम्परिवर्तन करवाने पर आमादा है जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार नही है क्योकि नामान्तरकरण का केवल वितीय उद्देश्य है, यह अधिकारों का अन्तिम निर्णायक नही है फिर भी प्रतिवादीगण जबरन आपस मे दिगर व्यक्तियो से मिलकर वादीगण को गलत तरीके से सम्पूर्ण भूमि से बेदखल करने पर आमादा है इसलिए वादीगण को आवश्यक हो गया है कि वादीगण माननीय न्यायालय की सहायता से प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे। प्रतिवादीगण दिनांक 04.08.2022 को वादीगण की भूमि पर आये और वादीगण की भूमि पर निर्माण करने लगे और आने नाम का फायदा उठाते हुए दीगर व्यक्तियो को भूमि बेचान करने लगे और सम्पूर्ण भूमि को बेदखल खुर्द बुर्द करने पर आमादा हुए वादीगण ने मना किया तो लडाई झगडा व मारपीट करने की धमकी दी और वादीगण को भगा दिया। वाद कारण दिनांक 04.08.2022 को वादीगण को उसकी भूमि से बेदखल करने उतारू होने व की खुर्द करने पर आमादा होने व प्रतिवादीगण को धमकी देने पर उत्पन्न हुआ । अतः वाद पत्र पेश कर श्रीमान से

निवेदन है कि वादीगण से पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी पारित फरमायी जाये कि वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के अनुसार ग्राम इटावा के तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० के खाता संख्या नया 140 पुराना 135 खसरा न. 1049/2820 रकबा 0.08 है0 खसरा न० 1055 रकबा 1.28 है०, खसरा न0 1056 रकबा 0.21 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.55 है0 पर से गलत व अनुचित व अवैध रूप से दर्ज कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल ब्राह्मण निवासी इटावा का नाम खाते से हटाया जाकर रिकोर्ड दुरुस्त करते हुए वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने की घोषणा की जाये तदनुसार यादीगण का नाम राजस्व रिकोर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की मद न. 1 मे वर्णित सम्पूर्ण भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा बनाये रखे तथा वादीगण की भूमि को खुर्द बुर्द हस्तान्तरण निर्माण आदि नही करे वादीगण को बेदखल नही करे, वादीगण को शान्तिपूर्ण तरीके से काबिज रहने देवे, वादीगण के उपयोग उपभो मे किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे, किसी प्रकार का अवैध निर्माण कब्जा किया हो तो उसे हटा लेवे ।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। वादीगण की ओर से दिनांक 30.12.2022 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं 151 सी.पी.सी. वादपत्र में संशोधन किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.12.2022 को स्वीकार किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4/2 से 4/4 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर दिनांक 03.01.2023 को जवाब दावा प्रस्तुत किया। दिनांक 03.01.2023 को वादीगण की ओर से संशोधित वाद पेश किया गया। दिनांक 04.01.2023 प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4/2 से 4/4 ने को संशोधित जवाब दावा प्रस्तुत किया। दिनांक 19.05.2023 को प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4/2 से 4/4 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पेश किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का जवाब प्रस्तुत किया गया। उभपक्षकारान की बहस प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी. पी.सी. पर सुनी गई। दिनांक 13.06.2023 को प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4/2 से 4/4 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण वादीगण की ओर से प्रथम अपील न्यायालय हाजा प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 4/1 से 4/4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी बहस मे अपील मेमो व लिखित बहस मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिक्री विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 रूल नियम 11 सी. पी. सी. को स्वीकार कर लिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा स्थित आराजी खसरा नम्बर 267 जो रामसुखा आत्मज माधो व भूरी बैवा गोपाल के नाम सम्माग से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, व खसरा नम्बर 1928/1109 रकबा 9 बीघा आराजी कुन्जबिहारी ब्राह्मण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी के द्वारा दिनांक 12.12.77 को दोनो के बीच में विनिमय डीड का पंजीयन करवाया गया उक्त विनिमय डीड के आधार पर अपीलान्टान के पिता एवं दादा रामसुखा आत्मज माधो का हिस्सा 1/2 खसरा नम्बर 267 की आराजी लक्ष्मीनारायण के नाम दर्ज करदी गई जिसके बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 1049 रकबा 0.45 हैक्टर खसरा नम्बर 1055 रकबा 0.56 हेक्टर आराजी दर्ज की गयी किन्तु उक्त विनियम डीड के आधार पर कुन्जबिहारी ब्राह्मण के खातेदारी की 1928/1109 रकबा 9 बीघा के बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 1878 रकबा 0.25 हैक्टर खसरा नम्बर 3439/1877 रकबा 0.16 हैक्टर खसरा नम्बर 3437/1864 रकबा 0. 16 हेक्टर खसरा नम्बर 3438/1877 रकबा 0.28 हैक्टर खसरा नम्बर 3436/1884 रकबा 0.48 हैक्टर अपीलान्ट के नाम दर्ज होनी थी जो कुन्जबिहारी ब्राह्मण राजस्व का कार्य करने व जानकार व्यक्ति होने के कारण दर्ज नहीं करवायी। जिसकी जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया जो योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक तरीके से खारिज कर दिया। जो सर्वथा त्रुटि

पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत आर्डर 7 नियम 11 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य विधि एवं साक्ष्य से तय होने थे। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त जवाब दावे में ऐसा कोई तथ्य वर्णित नही किया जो अन्तर्गत आर्डर 7 नियम 11 की परिभाषा के अन्तर्गत आते हो किन्तु फिर भी दावा वादी खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। साथ ही संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संशोधन का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर अपीलान्ट द्वारा संशोधित वादपत्र योग्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसका संशोधित जवाब दावा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया। उक्त संशोधन के आदेश पर रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई कार्यवाही अथवा आक्षेप प्रस्तुत नही किया गया, इस कारण रेस्पोडेन्ट संशोधन के आदेश के संबंध में किसी प्रकार का कथन कहने से स्टोप्ड है। किन्तु फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद पत्र एवं संशोधित वाद पत्र में अन्तर होना मानकर दावा वादी खारिज कर जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया गया, उक्त बाद में संशोधन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तत्पश्चात् संशोधित वाद पत्र प्रेषित किया गया। इस प्रकार मूल वाद संशोधित वाद पत्र में समाहित हो जाने के बाद जिस पर किसी प्रकार की आपत्ति करने का रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार प्राप्त नही रहता है. उसके बावजूद भी मनमाने तौर पर वादी का वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि विनिमय पत्र दिनांक 12.12.1977 के खसरा नम्बर 1928/1109 की आराजी लक्ष्मीनारायण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और बाद मृत्यु उसके वारिसान के नाम नवीन खसरा नम्बर दर्ज किये गये। जिस पर मथुरा के वारिसान का कोई संबंध नही है और इस संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई कथन जवाब दावे में अथवा मौखिक रूप से उज्र नहीं किया गया है और उन्हें पक्षकार बनाने की कोई आवश्यकता भी नही है इसके बावजूद भी पक्षकार नही बनाये जाने के आधार पर वादीगण का वाद खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि पक्षकार नही बनाये जाने के आधार पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय आर्डर 7 नियम 11 के आधार पर वाद खारिज नही कर सकता, अगर योग्य अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा लगता है कि न्यायालय द्वारा कहने के बावजूद भी वादीगण पक्षकार नही बनाते है तो अदम तकमील मे दावा खारिज किया जा सकता है

लेकिन आर्डर 7 नियम 11 में खारिज करने के कोई प्रावधान नही है और न ही आर्डर 7 नियम 11 में इस सन्दर्भ मे प्रावधानो का वर्णन किया गया है किन्तु फिर भी वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया है जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय में वाद में सभी रेस्पोडेन्ट को तलब किये बिना ही दावा वादीगण खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि आर्डर 7 नियम 11 के अन्तर्गत केवल वादीगण का वाद को ही देखा जाना है। उक्त बाद पत्र में वाद कारण उत्पन्न हो रहा है, साथ ही घोषणा खातेदारी के बाद के लिये कोई मियाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित नही है किन्तु फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने रूप से दावा खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि वादीगण का वाद कृषि आराजी से सम्बन्धित है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार योग्य अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त है। इस बाबत योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में मानकर दावा खारिज किया गया है जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। रामसुखा आत्मज माधो जी जाति माली एवं कुन्जबिहारी आत्मज कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण के मध्य ग्राम इटावा की आराजी के संबंध में एक विनिमय पत्र दिनांक 12.12.77 को आलेखित किया गया। उक्त विनिमय पत्र के आधार पर कुन्ज बिहारी के नाम ग्राम इटावा में स्थित आराजी 1928/1109 रकबा 9 बीघा अपीलान्ट के पिता रामसुखा के नाम दर्ज होनी थी किन्तु सहवन से नाम दर्ज नही होने पर अपीलान्ट द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया गया। ग्राम इटावा स्थित खसरा नम्बर 2926/1109 के नवीन खसरा नम्बर 1878 रकबा 0.25 हैक्टर खसरा नम्बर 3439/1977 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 3437/1864 रकबा 0.16 हेक्टर खसरा नम्बर 3438/1877 रकबा 0. 28 हैक्टर, खसरा नम्बर 3436/1864 रकबा 0.48 हैक्टर, कायम किये गये, जिसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया है। उक्त आराजी कुन्जबिहारी के नाम दर्ज होने के बाद उसके वारिसान द्वारा आपसी सहमति से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवायी, उक्त तथ्य को स्वयं रेस्पोडेन्ट ने जवाब दावा की विशेष कथन के मद नम्बर 2 में स्वीकार करते है। अपीलान्ट का दावा योग्य अधीनस्थ न्यायालय में कृषि आराजी होने से घोषणा खातेदारी का था, जिसपर रेस्पोडेन्ट द्वारा ऑर्डर 7 नियम 11 सी.पी. सी. का प्रार्थना पत्र लगाया गया जिसका विस्तृत जवाब अपीलान्ट द्वारा दिया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही यादीगण का वाद खारिज कर दिया जिसकी अप्रसन्नता से अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। अपील दर्ज होने के बाद रेस्पोडेन्ट द्वारा

दिनांक 28.06.2023 को खसरा नम्बर 3437/1864 व 3438/1877 रकबा 0.28 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 3436/1864 0.48 हैक्टर का बेचान राजेश शुक्ला को कर दिया गया जिसकी असल विक्रय पत्र एवं जमाबन्दी अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है। माननीय न्यायालय द्वारा वक्त अपील स्थगन आदेश प्रदान नही करने से रेस्पोडेन्ट द्वारा वर्णित आराजी के संबंध में कार्यालय नगर पालिका इटावा द्वारा दिनांक 07.08.23 को अधिसूचना जारी कर आराजी की किस्म परिवर्तित करने पर आमादा है। रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 नियम 11 में वर्णित तथ्यों के संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा मात्र विनिमय पत्र पर आक्षेप व अवधि बाधित होने के संबंध में कथन आलेखित किये है उक्त दोनो कथन तथ्य एवं विधि के प्रश्न है, जिनके आधार पर वाद खारिज नही किया जा सकता। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार नही बनाने व वाद कारण के अभाव में दावा खारिज किया है, जबकि दोनो ही बिन्दु रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं किये है। और न ही वक्त बहस उक्त बिन्दु उठाये गये है। पक्षकार के अभाव में दावा खारिज नहीं किया जा सकता इस सन्दर्भ में विभिन्न न्यायालयो के प्रतिपादित सिद्धान्त है। उक्त कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर. आर. टी. 2006/07 पेज नम्बर 345 उद्घृत किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वाद कारण उत्पन्न होना स्पष्ट रूप से वर्णित किया है किन्तु फिर भी वाद कारण के अभाव में दावा खारिज कर दिया जो आर्डर 7 नियम 11 की परिभाषा में नही आता है। आर्डर 7 नियम 11 सी. पी. सी. की परिभाषा से बाहर जाकर दावा खारिज किया है प्रतिवादी द्वारा ली गई जवाब दावे में आपत्तियों के संबंध में कायम कर निर्णय किया जा सकता है, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में भी पक्षकार एवं वाद कारण के संबंध में कथन आलेखित नही किये गये है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2006–07(सप्लीमेंट्री) आर.आर. टी. पेज 345 प्रस्तुत किया। अन्त में अपील स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2023 निरस्त किये जाने का निवेदन किया तथा योग्य अधीनस्थ न्यायालय को दावा गुणावगुण पर निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने व अन्य न्यायोचित सहायता जो भी अपीलान्ट को मिल सके वह भी प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 4/1 से 4/4 ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी बहस में लिखित बहस के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांटगण ने वाद इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला फोटा राज० मे राजस्व रिकार्ड अनुसार निम्न भूमियां स्थित है। जिसे बाद पत्र में वादग्रस्त भूमिया कहा गया है। ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा

तहसील पीपल्दा जिला कोटा मे जमाबन्दी संवत 2074–77 खाता संख्या नया 140 पुराना 135 खसरा नम्बर 1049/2820 रकबा 0.06 है0 1055 रकबा 1.25 है0 1056 रकबा 0.21 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.55 है0 ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० में जमाबन्दी सवंत 2074–77 खाता संख्या नया 147 पुराना 140 खसरा नम्बर 1878 रकबा 0.25 हैं0 3439/1877 रकबा 016 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.41 है० ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तहसील पीपलदा जिला कोटा में जमाबन्दी संवत 2074–77 खाता संख्या नया 1448 पुराना 147 खसरा नम्बर 3437/1864 रकबा 0.16 है, 3438 / 1877 रकबा 0.26 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है० ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में जमायन्दी संवत 2074–77 खाता संख्या नया 212 पुराना 202 खसरा नम्बर 1049 रकबा 0.39 है0 ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा मे जमाबन्दी संवत के अनुसार खतौनी संख्या नयी 406 पुराना 402 खसरा 267 तलाव का पेटा रकबा 19 बीघा 18 बिरया भूमि स्थित है जो वादीगण के पिता रामसुक्ख बेटा माधोव भूरी बेवा गोपाल जाति माली बाट बराबर राजस्व रिकार्ड दर्ज है। जिसके मिलान क्षेत्रफल संवत 2041–60 के अनुसार नये खसरा नम्बर 1055 रकबा 2.56 है0, 1049 रकबा 0.45 है0 बनाये गये इसी प्रकार गत राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 1928/1109 रकवा 9 बीघा भूमि प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 4 के पिता कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी इटावा के खाते दर्ज है। जिसके नये खसरा नम्बर 1877 रकबा 0.44 है0, 1878 रकबा 0.25 है० बनाये गये। नये खसरा नम्बर बाद पत्र की मद नम्बर 1 के अनुसार है। वादीगण के पिता रामसुक्खा व प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 के पिता कुन्जबिहारी ने दिनांक 12.12.1977 को आपसी समझौते के तहत उक्त दोनो भूमिया अदल बदल कर ली और गत खसरा नम्बर के अनुसार खसरा नम्बर 267 की भूमि 19 बीघा 18 भिस्वा तलाब का पेटा ग्राम इटावा जो रामसुक्खा मन्द माघो व मूरी भैया गोपाल माली निवासी इटावा के बाट बराबर पर दर्ज है। चूंकि भूरी खातेदार ने अपना 1/2 हिस्सा दिनांक 13.08.1975 को अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिया शेष 95 बीघा भूमि वादीगण के पिता की प्रतिवादीगण के पिता कुन्जबिहारी जीको व प्रतिवादीगण के पिता कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल के खाते की गत रिकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 1928/1109 तमंत 9 बीघा वादीगण के पिता को देने की लिखा पढ़ी हुई। लेकिन उक्त लिखा पढ़ी की पालना वादीगण व प्रतिवादीगण के पिताओ के मध्य मौके पर नही हुआ तथा प्रतिवादीगण के पिता कुन्जबिहारी पढ़े लिखे व शुरू से ही तहसील पीपल्दा से डीड राइटर होने व कानूनी जानकारी होने से वादीगण के पिता अनपढ़ के कारण की भूमि खसरा नम्बर 267 पर कपटपूर्वक व बेईमानी से यादीगण के पिता का रहन दर्ज होने पर भी प्रतियादी कम लगायत 4 के पिता कुन्जबिहारी ने अपना नाम दर्ज करवा लिया तथा

कुन्जबिहारी जी ने अपने खाते की भूमि गत खसरा नम्बर 1928/1109 रकवा 9 बीघा से भी अपना नाम नहीं हटाया और तहसील कर्मचारीयो से मिलकर यादीगण व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि पर स्वंय कुन्जबिहारी जी का ही नाम दर्ज हो गया। जबकि उक्त समझौते के अनुसार प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 के पिता कुन्जबिहारी जी द्वारा खसरा नम्बर 1928/1109 पर वादीगण के पिता रामसुक्खा का नाम दर्ज करवाना चाहिये था। उक्त अदल बदल की पालना आज तक नही हुई है इसलिये अनुपयोगी है वादीगण आज भी अपनी भूमि गत खसरा नम्बर 267 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1055 व 1049 पर वादीगण आज भी बदस्तूर काबिज कारत है। जबकि प्रतिवादीगण दोनो भूमियों पर अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाते हुये उक्त भूमियो को बुर्द, बेचान करने पर आमदा है। जबकि वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 1055 व 1049 पर प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 के पिता कुन्जबिहारी के साथ प्रतिवादी का नाम राहिन (पूर्ण) खाता गोपाल, बाबू पुत्र रामसुक्खा जमुना देवा रामसुक्खा माली पंजाब नेशनल बैंक के नामः दर्ज है। प्रतिवादीगण ने सम्पूर्ण भूमि पर अनुचित रूप से नाम दर्ज है इसलिये वादीगण को आवश्यक हो गया है कि वादीगण माननीय न्यायालय की सहायता से रिकार्ड दुरूस्त करवाते हुये वादीगण की भूमि पर दर्ज प्रतिवादीगण का नाम कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल का नाम खाते से हटवाये व वादीगण का नाम बतौर खातेदार नाम दर्ज करवाने की घोषणा करवाने हेतु वाद प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड मे गलत अंकन का फायदा उठाकर उक्त भूमि को खुर्द बुर्द हस्तांतरण, रहन, बेचान क्षतिग्रस्त करने पर आमदा इसलिये वादीगण को आवश्यक हो गया है कि वादीगण माननीय न्यायालय की सहायता से प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावे । वाद कारण दिनांक 04.08.2022 को वादीगण को उसकी भूमि से बेदखल करने हेतु उतारू होने व वादीगण की भूमि पर निर्माण व खुर्द बुर्द करने पर आमदा होने व प्रतिवादीगण को धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। अन्त मे निवेदन किया कि ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में जमाबन्दी संवत 2074–77 खाता संख्या 140 पुराना 135 खसरा नम्बर 1049/2820 रकबा 0.06 है०, 1055 रकबा 1.28 हे०, 1056 रकबा 0.21 है कुल किता 3 कुल रकबा 1.55 है पर से गलत व अनुचित व अवैध रूप से दर्ज कुजबिहारी पुत्र कन्हैयालाल ब्राह्मण निवासी इटावा का नाम खाते से हटाया जाकर रिकार्ड दुरूस्त करते हुये वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने की घोषणा की जाये तदनुसार वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड ने बतौर खातेदारान दर्ज किया जाये। प्रतिवादीगुण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया तक कि प्रतिवादीगण वादपत्र की मद नम्बर 1 मे वर्णित सम्पूर्ण भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा बनाये रखे तथा वादीगण की भूमि को खुर्द बुर्द, हस्तान्तरण निर्माण आदि नही करे वादीगण को बेदखल नही करे तथा वादीगण के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की दखल अंदाजी

नहीं करे, किसी का अवैध निर्माण कब्जा किया हो तो उसे हटा लेवे। वाद प्रस्तुत करने के पश्चात प्रतिवादीगण की तामील से पूर्व ही यादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अनुचित आदेश 6 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत कर वाद में संशोधन करने की प्रार्थना की गई जिसे स्वीकार किया जाकर वादी को वाद संशोधित करने की अनुमति प्रदान की गई। जिस पर वादी द्वारा संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में राजस्व रिकार्ड अनुसार निम्न भूमियां स्थित है। जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमियां कहा गया है। ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा मे जमाबन्दी संवत 2074–77 खाता संख्या 140 पुराना 135 खसरा नम्बर 1049/2820 रकबा 0.06 है0, 1055 रकबा 1.28 है0, 1056 रकवा 0.21 है० कुल किता 3 कुल रकबा 1.55 है0, ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में जमाबन्दी संवत 2074–77 खाता संख्या नया 147 पुराना 140 खसरा नम्बर 1878 रकबा 0.25 है0, 3439/1877 रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.41 है०, ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में जमाबन्दी संवत 2074–77 खाता संख्या नया 1446 पुराना 147 खसरा नम्बर 3437/1864 रकबा 0.16 है0, 3438/1877 रकबा 0.28 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है0 एवं 3436/1864 रकबा 0.48 है0 ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में जमाबन्दी संवत 2074–77 खाता संख्या नया 212 पुराना 202 खसरा नम्बर 1049 रकबा 0.39 है० ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में जनाबन्दी संवत 2029–2032 के अनुसार खतौनी संख्या नयी 406 पुराना 402 खसरा नम्बर 267 तलाब का पेटा रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है। जो वादीगण के पिता रामसुक्खा बेटा माधी व भूरी बेवा गोपाल जाति माली बाट बराबर राजस्व रिकार्ड दर्ज है। जिसके मिलान क्षेत्रफल संवत 2041–60 के अनुसार नये खसरा नम्बर 1055 रकबा 2.56 है0, 1049 रकबा 0.45 है0 बनाये गये। इसी प्रकार गत राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 1928/1109 रकबा 9 बीघा भूमि प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 4 के पिता कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी इटावा के खाते दर्ज है। जिसके नये खसरा नम्बर 1877 रकबा 0.44 है0, 1878 रकबा 0.25 है0 बनाये गये। नये खसरा नम्बर वाद पत्र की मद नम्बर 1 के अनुसार है। वादीगण के पिता रामसुक्खा व प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 के पिता कुन्जबिहारी ने दिनांक 12.12.1977 को आपसी समझौते के तहत उक्त दोनो भूमियो अदल बदल कर दी और गत खसरा नम्बर के अनुसार खसरा नम्बर 267 की भूमि 19 बीघा 18 विस्वा तलाव का पैटा ग्राम इटावा जो रामसुक्खा वल्द माधो व भूरी बेवा गोपाल माली निवासी इटावा के बांट मराकर दर्ज है।चूंकि भूरी खातेदारान ने अपना 1/2 हिस्सा दिनांक 13.06.1975 को अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिया शेष 95 बीघा भूमि वादीगण के पिता की प्रतिवादीगण के पिता

कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल के खाते की गत रिकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 1928/1109 रकबा 9 बीघा अपीलांटगण के पिता को देने की लिखा पढ़ी हुई। लेकिन उक्त लिखा पढ़ी की पालना वादीगण व प्रतिवादीगण के पिताओं के मध्य गौके पर नही हुआ तथा प्रतिवादीगण के पिता कुन्जबिहारी जी पढे लिखे व शुरू से ही तहसील पीपल्दा में डीड राइटर होने से व कानूनी जानकारी होने से व वादीगण के पिता अनपढ़ होने के कारण वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 267 पर कपटपूर्वक व बेईमानी से वादीगण के पिता का रहन दर्ज होने पर भी प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 के पिता कुन्जबिहारी ने अपना नाम दर्ज करवा लिया तथा कुन्जबिहारी ने अपने खाते की भूमि गत खसरा नम्बर 1928/1109 रकबा 9 बीघा से भी अपना नाम नही हटाया और तहसील कर्मचारीयो से मिलकर वादीगण व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि पर स्वंय कुन्जबिहारी जी का ही नाम दर्ज हो गया। जबकि उक्त समझौते के अनुसार प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 के पिता कुन्जबिहारी जी द्वारा खसरा नम्बर 1928/1109 पर वादीगण के पिता रामसुक्खा का नाम दर्ज करवाना चाहिये उक्त अदल बदल की पालना आज तक भी नही हुई है। वादीगण आज भी अपनी भूमि पर गत खसरा नम्बर 1928/1109 रकवा 9 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 1878 रकबा 0.25 है०, 3439/1877 रकबा 0.16 है0, 3437/1864 रकबा 0.16 है0, 3438/1877 रकबा 0.28 है०, 3436/1854 रकबा 0.48 है0 पर वादीगण आज भी बदस्तूर काबिज काश्त है। जबकि प्रतिवादीगण दोनो भूमियों पर अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाते हुये उक्त भूमियो को खुर्द बुर्द बेचान करने पर आमदा है। जबकि वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 1055 व 1049 पर प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 के पिता कुन्जबिहारी के साथ प्रतिवादीगण का नाम रहिन (पूर्ण खाता) गोपाल बाबू पुत्र रामसुख, जमुना बेचा रामसुक्खा गाली पंजाब नेशनल बैंक शाखा इटावा के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण का सम्पूर्ण भूमि पर अनुचित रूप से नाम दर्ज हैं। इसलिये वादीगण को आवश्यक हो गया है कि वादीगण माननीय न्यायालय की सहायत से रिकार्ड दुरुस्त करवाते हुये वादीगण की भूमि पर दर्ज प्रतिवादीगण के पिता का नाम कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल का नाम खाते से हटवाये वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाने की घोषणा करवाये तदर्थ वाद प्रस्तुत है। वाद कारण दिनांक 04.08.2022 को वादीगण को उसकी भूमि से बेदखल करने हेतु उतारू होने व वादीगण की भूमि पर निर्माण खुर्द बुर्द करने पर आमदा होने व प्रतिवादीगण को धमकी देने पर उत्पन्न हुआ । अन्त में निवेदन किया कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 मे वर्णित भूमि जमाबंदी संवत 2074–77 के अनुसार ग्राम इटावा पटवार हल्का इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा खसरा नम्बर 1928/1109 रकबा 9 बीघा जिसे नये खसरा नम्बर खाता संख्या नया 147 पुराना 140 खसरा नम्बर 1878 रकबा 0.25 है0, 3439/1877 रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.41 है0 खाता संख्या नया 1446 पुराना 147 खसरा नम्बर 3437/1864

रकबा 0.16 0. 3438/1677 रकबा 0.28 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है खाता संख्या 1445 खसरा नम्बर 3430/ 1864 रकबा 0.48 80 पर से गलत व अनुचित व अवैध रूप से दर्ज कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल ब्राहमण निवासी इटावा वर्तमान में इनके वारिसान प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 के नाम खाते से हटाया जाकर रिकार्ड दुरुस्त करते हुये वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने की घोषणा की जाये तदनुसार वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड बतौर खातेदार दर्ज किया जाये। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये कि प्रतिवादीगण वाद पत्र में वर्णित मद नम्बर 1 की सम्पूर्ण भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा बनाये रखे। वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तामील करवाई गई प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि यादीगण द्वारा पेश किये गये मूल दाये दिनांक 27.07.2022 में तथाकथित अदल बदल दस्तावेज अनुपयोगी होने से प्रार्थीगण तथा प्रतिवादी कम 5 लगायत 9 के खिलाफ ग्राम इटावा के खसरा नम्बर 1049/2820 रकबा 0.06 है. 1055 रकबा 1.28 है0, 106 रकबा 0.21 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.55 है0 भूमि में कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल ब्राहमण निवासी इटावा का नाम खाते से हटाया जाकर वादीगण का नाम दर्ज करने तथा मूल वाद की मद नम्बर 01 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा के लिये दावा पेश किया प्रार्थना पत्र बाबत आदेश 6 नियम 17 एंव 151 सीपीसी के जरिये संशोधन परिवर्तन करने के बाद वादीगण के द्वारा पेश किये गये संशोधित दावे में कथित अदल बदल दस्तावेज दिनांक 12.12.1977 की पालना आज तक नही होने से वादीगण खसरा नम्बर 1878 रकबा 0.25 है0, 3439/1877 रकबा 0.16 है0, 3437/1864 रकबा 0.16 है0, 3438/1877 रकबा 028 है0, 3436/1864 रकबा 0.48 है0 भूमि पर गलत व अनुचित व अवैध रूप से दर्ज कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी इटावा वर्तमान में अनके वारिसान प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 का नाम खाते से हटाकर वादीगण का नाम दर्ज करने तथा संशोधित दावे की मद संख्या 01 मे वर्णित सम्पूर्ण भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिये संशोधित दावा पेश किया गया है। के संशोधित दावे के प्रार्थना पत्र मे मांगे गये संशोधित से ज्यादा दावा संशोधित (वर्तमान मे इनके वारिसान प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 का नाम खाते से हटाकर) कर दिया है जो चलने योग्य नही होने से काबिले खारिज है। मूल दावा व संशोधित दावा में अभिवचन परस्पर विरोधाभासी है। मूल दावे मे वादीगण का दावा करने का आधार अदल बदल दस्तावेज दिनांक 12.12.1977 अनुपयोगी होने से तथा संशोधित दावा उसी दस्तावेज की पालना के लिये पेश किया गया है। इस प्रकार दोनो दावे एक दूसरे के खिलाफ होने पर प्राइमासी काबिले खारिज है। वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई वाद कारण पेश ही नही हुआ है। क्योंकि वादी की पूरी प्लीडिंग्स ही

कोन्ट्राडिक्टरी है। बादीगण ने दिनांक 04.08.2022 को यादीगण का उसकी भूमि से बेदखल करने हेतु उतारू होने बादीगण की भूमि का निर्माण व खुर्द बुर्द करने पर आमादा होने व प्रतियादीगण को धमकी देने पर उत्पन्न होने बताया है जबकि मूल दावे व संशोधित दावे की मद संख्या 4 मे समान रूप से वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 1055, 1049 पर दर्ज कुन्ज बिहारी पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी इटावा का नाम खाते से हटाने व वादीगण का नाम दर्ज करने के लिये दावा पेश किया गया है। जबकि संशोधित दावे में दूसरी भूमि मांगी जा रही है। इसलिये दावा काबिले खारिजी है। वादीगण द्वारा कथित अदल बदल दस्तावेज दिनांक 12.12.1977 की पालना करवाने के लिये दिनांक 17.08.2022 को 45 साल बाद दावा पेश किया गया है। कथित अदल बदल दस्तावेज गैर कानूनी होने से (शामलाती जमीन का होने तथा कुजबिहारी को खातेदारी ही प्राप्त नहीं होने से) उसका इन्द्राज उस समय नहीं हो सका। इसी प्रकार कथित अदल बदल दस्तावेज दिनांक 12.12.1977 गैर कानूनी व शून्य दस्तावेज होने से उसके आधार पर प्रस्तुत दावा खारिजी किये जाने योग्य दिनांक 12.12.1977 के दस्तावेजो के आधार पर इन्द्राज करवाने के लिये दिनांक 17.08.2022 को 45 साल बाद पेश किया गया दावा प्राइमाफेसी ही बैरून मियाद होने से खारिज किये जाने योग्य है। अंत में वादपत्र खारिज फरमाने की प्रार्थना की गई। पत्रावली के अवलोकन मे स्पष्ट है कि मूल दावा व संशोधित दावा मे अभिवचन परस्पर विरोधाभासी है। मूलदावे मे मादीगण का दावा करने का आधार अदल बदल दस्तावेज दिनांक 12.12.1977 अनुपयोगी होने से तथा संशोधित दावा उसी दस्तावेज की पालना के लिये पेश किया गया है। इस प्रकार दोनो दावे एक दूसरे के प्रतिकूल है। वादीगण की प्लीडिंग्स कोन्ट्राडिक्टरी होने से वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई वाद कारण पेश ही नही हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (2020)7 SCC page 366 Dahiben vs Arvindbhai Kalyani Bhanusali के अनुसार "Cause of action means every fact which would be necessary for the plaintiff to prove, if traversed, in order to support his right to judgement. It consists of a bundle of material facts, which are necessary for the plaintiff to prove in order to entitle him to the reliefs claimed in the suit. In Swamy Atamanand v Sri Ramakrishna Tapovanam this Court held: If however by clever drafting of the plant, it has created the illusion of a cause of action this court i Madanuri Sri Ramachandra Murthy v. Syed Jalal 11 held that it should be nipped in the bud, so that bogus litigation will end the earliest stage. the court must be vigilant against any camorflage or surpession and determine whether the litigation is utterly vexatious, and an abuse of the process of the court."वैसे भी

अदल बदल दस्तावेज दिनांक 12.12.1977 लागू करने के लिये दिनांक 17.08.2022 को 45 साल बाद पेश किया इतनी लम्बी अवधि के मध्य वादीगण को उसके कब्जे व खाते की भूमि तथा अदल बदल दस्तावेज दिनांक 12.12.1977 का ज्ञान नही होना मिथ्या रूप से वर्णित किया गया है। वादीगण वाद को अवधि मध्य प्रस्तुत करने मे पूर्णतया असफल रहा है। उपरोक्त परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आर्डर 7 रूल 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर बाद को विधि पूर्ण रूप से खारिज किया गया है। वादग्रस्त आराजी विनिमय डीड दिनांक 12.12.1977 को कुन्जबिहारी के गैरखातेदारी मे दर्ज थी कानूनन गैर खातेदार अपने गैर खातेदारी की भूमि को विक्रय अथवा हस्तांतरण बिना जिला कलेक्टर की अनुमति के नहीं कर सकते है। यदि गैरखातेदार द्वारा अपने गैर खातेदारी की भूमि का विक्रय या हस्तांतरण किया जाता है तो वह प्रारम्भ से ही शून्य व अनुचित व अवैध व प्रभावहीन है। माननीय राजस्व मण्डल अधिकारी द्वारा RRD 1990 page 598 मे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 41 के अनुसार गैर खातेदार को आराजी विक्रय अथवा हस्तांतरित करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। माननीय उच्चतम न्यायालय की वर्ष 2020 की नजीर Dahiben vs Arvindbhai Kalyani Bhanusali से स्पष्ट है कि किसी दावे में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र निर्धारित करते समय फौरी तौर पर वाद कारण न देखकर सम्पूर्ण बाद पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का अध्ययन करने पर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि वाद कारण वास्तविक है या भ्रामक व रचा/गढ़ा है। यादी अपीलाण्ट के पिता रामसुक्खा अपने संयुक्त खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 267 रकबा 9 बीघा विनिमय दिनांक 12.12.1977 से 14 वर्ष पूर्व दिनांक 23.06.1963 को अपंजीकृत डीड से बेचान कर कान्हा पुत्र मथुरा के कब्जे मे सौंप दी थी तथा कुन्जबिहारी द्वारा रामसुक्खा की आराजी से जिस खसरा नम्बर 1928/1109 रकवा 9 बीघा दिनांक 12.12.1977 को विनिमय किया व गैर खातेदारी की आराजी थी इसलिये विनिमय प्रारम्भ से ही शून्य था जिसकी पालना किया जाना उचित नही था । वादीगण द्वारा जिस व्यक्ति को रामसुक्खा ने 60 वर्ष पूर्व आराजी खसरा नम्बर 267 का बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था उक्त कब्जाधारी व्यक्ति को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया और न्यायालय द्वारा बार बार निर्देशित करने के उपरान्त भी दादी ने आवश्यक पक्षकार को दावे में पक्षकार नही बनाया। वादी द्वारा भ्रामक ड्राफ्टिंग कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया । उपरोक्त समस्त विवेचना करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद कारण के अभाव में तथा आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाने के न्यायालय निर्देशो के बावजूद भी पक्षकार नही बनाने के कारण वाद को विधि पूर्ण रूप से निरस्त किया है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 4/1 से 4/4 की ओर से न्यायिक दृष्टांत (2020)7 SCC page 366 Dahiben vs

Arvindbhai Kalyani Bhanusali, RRD 1990 page 598, RRT 2020(2) page 998, RRT 2020(2) page 1200 प्रस्तुत किये। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2023 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत 2074–2077 की है जिसके अनुसार ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा की खाता संख्या 212 की खसरा नम्बर 1049, 1867, 1874, 1875, 1876 किता 5 कुल रकबा 2.39 हैक्टेयर ओमप्रकाश पुत्र गोपाल हिस्सा 1/48, घीसी पुत्री रामसुखा हिस्सा 1/6, चन्द्रकला पुत्री गोपाल हिस्सा 1/48 , जमुना पत्नि स्व. रामसुखा हिस्सा 1/6, दिनेश पुत्र गोपाल हिस्सा 1/48, बाबू पुत्र रामसुख हिस्सा 1/6, बिशनी बाई पत्नि स्व. गोपाल हिस्सा 1/48, भेरू पुत्र रामसुख हिस्सा 1/6, मुकेश पुत्र गोपाल हिस्सा 1/48, मंगली पुत्री रामसुखा हिस्सा 1/6, महावीर पुत्र गोपाल हिस्सा 1/48, विनोद पुत्र गोपाल हिस्सा 1/48, सुनीता पुत्री गोपाल हिस्सा 1/48 जाति माली सा. इटावा की खातेदारी में दर्ज है तथा इसी जमाबंदी के अन्तरण के के कॉलम में "स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 3450 दिनांक 01.10.2021" अंकित है। फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत 2074–2077 की है जिसके अनुसार ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा की खाता संख्या 140 में दर्ज खसरा नम्बर 1049/2820, 1055, 1058 किता 3 रकबा 1.55 हैक्टेयर भूमि कुंजबिहारी पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. इटावा खातेदार रहिन(पूर्ण खाता) गोपाल बाबू पुत्र रामसुख जमुना बेवा रामसुख माली के(पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा इटावा दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत 2062–2065 की है जिसके अनुसार ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा की खाता संख्या 108 में दर्ज खसरा नम्बर 1567, 1571, 1572, 1575, 1740, 1864, 1877, 1878, 2104, 2105, 693, 696, 697, 860, 861 कुल किता 15 कुल रकबा 9.59 हैक्टेयर भूमि कुंजबिहारी पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्म्ण नि.इटावा की खातेदारी में दर्ज है तथा इसी जमाबंदी के अंतरण के कॉलम में नामा.स. 1952 नि.दि. 24.09.2010 रूपान्तरकरण से ख.न. 1878/0.25 में से 0.0090(वर्गमीटर) वाणिज्यिक एवं 0.0910(वर्गमीटर) गै.मु.आबादी समपरिवर्तन दर्ज करने की स्वीकृति होने का नोट अंकित है। फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत 2074–2077 की है जिसके अनुसार ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा की खाता संख्या 147 में दर्ज खसरा नम्बर 1878 रकबा 0.25 हैक्टेयर आबादी वाणिज्य प्रायोजनार्थ गै.मु.आबादी, खसरा नम्बर 3439/1877 रकबा 0.16 हैक्टेयर बारानी तृतीय कृष्णमुरारी पुत्र कुंजबिहारी हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी में अंतरण के

कॉलम में स्वीकृत नामान्तरकरण रहनमुक्त 3458 दिनांक 09.07.2021 व स्वीकृत नामान्तरकरण विभाजन 3593 दिनांक 27.06.2022 अंकित है। फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा की खाता संख्या 1446 मे दर्ज खसरा नम्बर 3437/1864 रकबा 0.16 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 3438/1877 रकबा 0.28 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय अशोक कुमार पुत्र बृजमोहन हिस्सा 1/3, उमेश कुमार पुत्र बृजमोहन हिस्सा 1/3, मुकेश कुमार पुत्र बृजमोहन हिस्सा 1/3 जाति. ब्राह्मण सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी के अंतरण के कॉलम में नामान्तरकरण संख्या 3654, दिनांक 13.07.2022 न्यायालस आदेश खसरा संख्या 3437/1864, 3438/1877 पर मुकेश कुमार पुत्र बृजमोहन का नामान्तरकरण प्रकियाधीन होना अंकित है तथा स्वीकृत नामान्तरकरण 3593 दिनांक 27.06.2022 विभाजन अंकित है। फोटोप्रति जमाबंदी(खतौनी) सम्वत् 2029 से 2032 के अनुसार ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की खाता संख्या 405 की खसरा नम्बर 267 तालाब का पेटा रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1110 राफडा रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1111 कुवां रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1112 बीडा रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा रामसुक्ख बेटा माधो व मु0 भूरी बेवा गोपाल जात माली बास गांव बाट–बराबर दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति आंशिक नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2041 से 2060 की है जिसके अनुसार ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा की गत खसरा नम्बर 267 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 1055 रकबा 2.56 हैक्टेयर, गत खसरा नम्बर 267 मी. के नवीन खसरा नम्बर 1049 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1928/1109मी. के नवीन खसरा नम्बर 1877 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1109मी. के नवीन खसरा नम्बर 1878 रकबा 0.25 हैक्टेयर बने होना अंकित है। फोटोप्रति पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 12.12.1977 का है जिसके अनुसार रामसुक्खा आत्मज माधोलाल जाति माली निवासी इटावा व कुन्ज बिहारीलाल आत्मज श्री कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण(कोठारी) निवासी इटावा द्वारा एकदूसरे की भूमि को अदल–बदल किया जाना अंकित है। फोटोप्रति जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत् 2041 से 2060 के अनुसार ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की खाता संख्या 370 में दर्ज खसरा नम्बर 218, 693, 696, 697, 860, 861, 1567, 1571, 1572, 1575, 1740, 2104, 2105, 1864, 1877, 1878 कुल किता 16 रकबा 10.30 हैक्टेयर भूमि कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण सा.देह दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा की खाता संख्या 1446 मे दर्ज खसरा नम्बर 3437/1864 रकबा 0.16 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 3438/1877 रकबा 0.28 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय अशोक कुमार पुत्र बृजमोहन हिस्सा 1/3, उमेश कुमार पुत्र बृजमोहन हिस्सा 1/3, मधुसूदन पुत्र बृजमोहन हिस्सा 1/3 जाति. ब्राह्मण सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा

इसी जमाबंदी के अंतरण के कॉलम में "नोट नं. 31 से दिनांक 29.08.2022 खसरा संख्या 3437/1864, 3438/1877 सभी काश्तकार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी 212 RTA Act प्र.स. 26/2022 से रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने का नोट लगा हुआ है। स्वीकृत नामान्तरकरण: 3593 27/06/2022 विभाजन स्वीकृत नामान्तरकरण: 3654 18/08/2022 न्याया.आदेश" अंकित है। फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत 2074–2077 की है जिसके अनुसार ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा की खाता संख्या 147 में दर्ज खसरा नम्बर 1878 रकबा 0.25 हैक्टेयर आबादी वाणिज्य प्रायोजनार्थ गै.मु.आबादी, खसरा नम्बर 3439/1877 रकबा 0.16 हैक्टेयर बारानी तृतीय कृष्णमुरारी पुत्र कुंजबिहारी हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी में अंतरण के कॉलम में "नोट नं. 31 से दिनांक 29.08.2022 खसरा संख्या 1878, 3439/1877 सभी काश्तकार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी 212 RTA Act प्र.स. 26/2022 से रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने का नोट लगा हुआ है। स्वीकृत नामान्तरकरण: 3458 09/07/2021 रहनमुक्त स्वीकृत नामान्तरकरण: 3593 27/06/2022 विभाजन" अंकित है। फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा की खाता संख्या 1455 की खसरा नम्बर 3436/1864 रकबा 0.48 हैक्टेयर भूमि पुरूषोत्तम पुत्र कुंजबिहारी हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी के अंतरण के कॉलम में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3593 27/06/2022 विभाजन अंकित है। फोटोप्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के प्रकरण संख्या 48/78 की आदेशिका दिनांक 16.08.78 से दिनांक 19.04.79 तक की है। फोटोप्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के प्रकरण संख्या 48/78 में पारित निर्णय दिनांक 19.04.1979 की है। फोटोप्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में प्रस्तुत अपील बनाराजगी आदेश तहसील पीपल्दा दिनांक 27.10.1977 बाबत नामान्तरकरण न. 514 ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा की है। फोटोप्रति नामान्तरकरण पंजिका सन् 1977 ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा के नामान्तरकरण संख्या 514 की है। फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत् 2033 से 2036 की है जिसके अनुसार ग्राम इटावा की खाता संख्या 556 की खसरा नम्बर 162, 1928/1109, 851 किता 3 भूमि कुन्जबिहारी पुत्र कन्हैयालाल कोम ब्राहमण सा.देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डनायक(उपनिवेशन) कोटा(राज0) के आदेश दिनांक 28.01.1978 की है जिसके अनुसार ग्राम इटावा की खसरा नम्बर 1928/1109 किता 1 रकबा 9 बीघा भूमि के संबंध में कन्हैयालाल पुत्र कुन्जबिहारी जाति ब्राहम्ण निवासी इटावा को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना अंकित है। फोटोप्रति आंशिक नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2041 से 2060 की है जिसके अनुसार ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की गत साबिक खसरा नम्बर 1928/1109 रकबा 9 बीघा के

नवीन खसरा नम्बर 1864 रकबा 0.84 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 1112 मी.,1109मी. के नवीन खसरा नम्बर 1866 रकबा 0.06, साबिक खसरा नम्बर 1928/1109मी. के नवीन खसरा नम्बर 1877 रकबा 0.44 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 1109मी. के नवीन खसरा नम्बर 1878 रकबा 0.25 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 1109मी. के नवीन खसरा नम्बर 1868 रकबा 0.34 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 1109मी. के नवीन खसरा नम्बर 1814 रकबा 0.15 हैक्टेयर बने होना अंकित है। प्रमाणित फोटोप्रति न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के प्रकरण संख्या 175/79 की आदेशिका दिनांक 25.08.1981 की है। प्रमाणित फोटोप्रति न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के प्रकरण संख्या 175/79 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.1981 की है। प्रमाणित फोटोप्रति जमाबंदी भू-प्रबन्ध सम्वत 2041 से 2060 के अनुसार ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की खाता संख्या 456 की खसरा नम्बर 1049, 1055, 1056, 1867, 1874, 1875, 1876 किता 7 रकबा 5.43 हैक्टेयर भूमि गोपाल, बाबू, भैरू पि0 रामसुखा व मंगली धोली पुत्रियां रामसुखा जमना बेवा रामसुखा हि. 1/2 मु0 भूरी बेवा गोपाल हि. 1/2 कोम माली सा0देह की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रमाणित फोटोप्रति न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रस्तुत अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उप जिलाधीश कोटा मिसल नं. 162/83 दिनांक 23.12.85 की है। प्रमाणित फोटोप्रति न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के प्रकरण संख्या अपील/डिक्री/159/86 में पारित निर्णय दिनांक 22.04.89 की है। प्रमाणित फोटोप्रति न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के प्रकरण संख्या अपील/डिक्री/159/86 में पारित डिक्री दिनांक 22.04.89 की है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जारी विद्युत बिल दिनांक 09.11.2022 का है जिस पर खाता संख्या 17910233 व उपभोक्ता का नाम pramod kumar अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.06.2023 में अंकित किया है कि, "वाद कारण के गठन के अभाव में तथा आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाने के न्यायालय निर्देशों के बावजूद भी पक्षकार नहीं बनाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर दावा वादी नामंजूर कर खारिज किया जाता है।" आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. इस प्रकार है, "वाद-पत्र नामंजूर किया जाना- वाद-पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा-(क) जहाँ दावा वाद-हेतुक प्रकट नहीं करता है। (ख) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।(ग) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद-पत्र अपर्याप्त स्टाम्प-पत्र पर लिखा गया है और वादी ने अपेक्षित स्टाम्प-पत्र के देने के लिए

न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है। (घ) जहाँ वाद–पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। [(ङ) जहाँ वाद दो प्रतियों में नहीं भरा गया है।] [(च) जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों की अनुपालना में असफल रहता है।] [परन्तु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्यायालय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति, मूल्यांकन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढ़ाने से इन्कार किए जाने से वादी के प्रति गम्भीर अन्याय होगा।]" हमने अधीनस्थ न्यायालय में वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र एवं संशोधित वादपत्र में अंकित कथनों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने पहले वादपत्र दिनांक 17.08.2022 को पेश किया तथा इसके पश्चात संशोधित वादपत्र दिनांक 03.01.2023 को पेश किया गया। हमने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मूल वादपत्र व संशोधित वादपत्र का अवलोकन किया। उक्त दोनो वादपत्रों में अदल–बदल दस्तावेज दिनांक 12.12.1977 के संबंध के वादीगण द्वारा कथन अंकित किये गये है। हमने उक्त अदल–बदल दस्तावेज दिनांक 12.12.1977 का अवलोकन किया। मूल वादपत्र में वादीगण द्वारा उक्त अदल–बदल दस्तावेज दिनांक 12.12.1977 के अनुपयोगी होने का कथन किया गया है, जबकि संशोधित वादपत्र में इसी अदल–बदल दस्तावेज को सही माना जाकर उक्त दस्तावेज के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा है। मूल वादपत्र में वादीगण द्वारा उक्त अदल–बदल दस्तावेज की मौके पर पालना नहीं होने का कथन किया है जबकि संशोधित वादपत्र में उक्त अदल–बदल दस्तावेज के आधार पर बिन्दु संख्या 4 में कथन किया है कि उसका खसरा नम्बर 1928/1109 रकबा 9 बीघा में से बने नवीन खसरा नम्बर पर वह काबिज है। मूल वादपत्र में वादीगण द्वारा अदल–बदल दस्तावेज में अंकित खसरा नम्बर 267 में रामसुक्खा के 1/2 हिस्से की भूमि से बने वर्तमान खसरा नम्बर की भूमि पर काबिज–काश्त होने का कथन किया है जबकि अपने संशोधित वादपत्र में वादीगण ने अदल–बदल दस्तावेज में अंकित कुन्जबिहारी की भूमि खसरा नम्बर 1928/1109 से बने वर्तमान खसरा नम्बर की भूमि पर काबिज–काश्त होने का कथन किया है। वादीगण ने अपने मूल वादपत्र में अदल–बदल दस्तावेज में अंकित खसरा नम्बर 267 में रामसुक्खा के 1/2 हिस्से की भूमि से बने वर्तमान खसरा नम्बरान की भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है जबकि अपने संशोधित वादपत्र में वादीगण ने अदल–बदल दस्तावेज में अंकित कुन्जबिहारी की भूमि खसरा नम्बर 1928/1109 से बने वर्तमान खसरा नम्बरान की भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा का

अनुतोष चाहा है। मूल वादपत्र में वादीगण ने अदल–बदल दस्तावेज को अनुपयोगी होना बताकर उक्त दस्तावेज में अंकित खसरा नम्बर 267 में रामसुक्खा के हिस्से की भूमि जो कि कुंजबिहारी के नाम पर दर्ज हुई है, को पुनः अपनी खातेदारी में दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा है जबकि संशोधित वादपत्र में वादीगण ने उक्त अदल बदल दस्तावेज के आधार पर अदल–बदल दस्तावेज में अंकित कुन्जबिहारी की खसरा नम्बर 1928/1109 की भूमि जो रामसुक्खा के दर्ज नहीं हो सकी, को अपनी खातेदारी मे दर्ज करने का अनुतोष चाहा है। इस प्रकार वादीगण अपीलांट के मूल वादपत्र व संशोधित वादपत्र में अंकित कथन परस्पर पूर्णतया विरोधाभासी है। वादी ने वादपत्र का मुख्य आधार 12.12. 1977 के दस्तावेज को बनाया है तथा इसी दस्तावेज के आधार पर विरोधाभाषी कथन व अनुतोष परिलक्षित होता है। जमाबंदी सम्वत 2029 से 2032 के अनुसार ग्राम इटावा की खाता संख्या 405 में दर्ज खसरा नम्बर 237 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1110 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1111 रकबा 3 बिस्वा गे.मु.चाह, खसरा नम्बर 1112 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 40 बीघा 5 बिस्वा भूमि रामसुक्खा बेवा माधो व मु0 भूरी बेवा गोपाल जाति माली बास गांव बांट बराबर दर्ज थी। उक्त भूमि में से खातेदार भूरी द्वारा खसरा नम्बर 1112 के सम्पूर्ण हिस्से व खसरा नम्बर 1111 के 1/2 हिस्से को दिनांक 13.06.1975 को राजेन्द्र पुत्र रामनारायण गूर्जर को बेचान किया गया। उक्त विकय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 514 से दिनांक 27.10.1977 को केता राजेन्द्र पुत्र रामनारायण खातेदार हो गया था। साथ ही नामान्तरकरण संख्या 513 से दिनांक 27.10.1977 को उक्त खाता संख्या 405 में दर्ज खसरा नम्बर 237 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा में से 9 बीघा 14 बिस्वा भूमि काना व गोरधन पुत्र मथुरा गूजर के खाते दर्ज करने का आदेश हुआ। उक्त दोनो नामान्तरकरण संख्या 513 व 514 की अपील अपीलांटगण के पिता रामसुक्खा द्वारा उपजिलाधीश कोटा के न्यायालय में की गई जो दिनांक 14.09.1979 को न्यायालय उपजिलाधीश कोटा द्वारा स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 513 व 514 को निरस्त किये जाने का निर्णय पारित किया । न्यायालय उपजिलाधीश कोटा के निर्णय दिनांक 14.09.1979 के विरूद्ध अपीलांटगण भूरी, कान्हा व गोरधन के द्वारा अपील संख्या 175/79 तथा अपीलांटगण भूरी व राजेन्द्र द्वारा अपील संख्या 176/79 पृथक–पृथक न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में पेश की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रस्तुत उक्त दोनो अपीलों में रामसुक्खा रेस्पोडेन्ट के रूप में पक्षकार था। उक्त दोनो अपीलें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा एकल निर्णय से दिनांक 25.08.1981 को निर्णित की गई। साथ ही एक अन्य अपील संख्या 159/86 कान्हा व गोरधन की ओर से कुन्जबिहारी के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में न्यायालय उपजिलाधीश कोटा के निर्णय व डिक्री दिनांक

162/83 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.1985 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने उक्त अपील में पारित अपने निर्णय दिनांक 22.04.1989 में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.1985 को निरस्त करते हुए अपीलांट काना व गोरधन के कब्जे को तब तक सुरक्षित रखा है जब तक उसके किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय द्वारा हटाया नहीं जाता। उक्त सभी तथ्यों से यह प्रकट होता है कि अपीलांटगण के पिता रामसुक्खा व कुन्जबिहारी विवादित भूमि के संबंध में प्रारंभ से समुचित तरीके से जानते बूझते हुए न्यायालयो को गुमराह करते हुए अलग–अलग तथ्य गढ़ते हुए सुनियोजित तरीके से वाद प्रस्तुत करते रहे है। अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण को विवादित भूमि के सम्बंध मे चल रहे सभी प्रकरण की प्रारंभ से ही जानकारी रही है। तथाकथित अदल–बदल दस्तावेज दिनांक 12.12.1977 का है जिसके 45 साल बाद वादीगण द्वारा वाद पेश किया गया है जबकि वादीगण को विवादित भूमि के संबंध में विभिन्न राजस्व न्यायालयों मे विचाराधीन रहे प्रकरणों व तथा राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी प्रारंभ से ही रही है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बार–बार निर्देशित किये जाने के बावजूद भी अपीलांटगण द्वारा आवश्यक पक्षकार (मथुरा गूर्जर के वारिसान) को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया। ऊपर वर्णित तथ्यों से अपीलांटगण का स्वच्छ हस्तों से वाद प्रस्तुत नहीं करना प्रकट होता है। इस सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय की भी फाइंडिंग रही है कि, "वादी द्वारा भ्रमात्मक ड्राफ्टिंग कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार भी यदि clever drafting कर illusionary cause of action बनाकर कोई दावा पेश किया जाता है तो न्यायालय को सावधानीपूर्वक पढ़कर विश्लेषण करना चाहिए कि वाद न्यायिक प्रकिया के दुरूपयोग की दृष्टि से तो नहीं लाया गया है।" अतः अधीनस्थ में मूलवाद एवं संशोधित वाद जिस तरह प्रस्तुत किया गया है उससे अधीनस्थ न्यायालय की उपर्युक्त फाइंडिंग सही प्रतीत होती है। यह स्थापित विधि है कि गैर खातेदारी की भूमि का स्वयं के स्तर पर विनिमय करने का गैर खातेदार को अधिकार नहीं है। अतः इस सम्बंध में अनुतोष कैसे प्रदान किया जा सकता है? अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 13.06.2023 में स्पष्ट किया है कि किस प्रकार वादकारण को वादी ने illusionary व fabricated रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 22.04.1989 के आधार पर मथुरा गूर्जर के वारिसान को पक्षकार बनाने का आदेश दिया था वह उचित था क्योंकि इससे सभी आवश्यक एवं उचित पक्षों को सुनकर सही निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता मिलती है। अपीलांट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के आवश्यक पक्षकार बनाने के आदेश की पालना नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय के निर्देशों की पालना वादी ने क्यों नहीं की, इसका कोई

संतोषजनक उत्तर वादी अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों एवं विधि का विवेचन कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 24/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.06.2023 यथावत रखा जाता है।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 25.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री
(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या– 2023/110

1. बाबूलाल पुत्र रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
2. गोपाल (मृतक) पुत्र रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0) जरिये कायम मुकाम–
   2/1. ओम प्रकाश पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   2/2. महावीर पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   2/3. मुकेश पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   2/4. दिनेश पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   2/5. विनोद पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   2/6. चन्द्रकान्ता पुत्री गोपाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   2/7. सुनीता पुत्री गोपाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
3. भैरूलाल आत्मज रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
4. घींसी पुत्री रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
5. मंगला पुत्री रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांटगण

बनाम

1. कृष्ण मुरारी पुत्र कुन्जबिहारी जाति ब्राहम्ण
2. पुरूषोत्तम पुत्र कुन्जबिहारी जाति ब्राहम्ण
3. निर्मला देवी पुत्री कुन्जबिहारी जाति ब्राहम्ण
4. बृजमोहन(मृतक) पुत्र कुन्जबिहारी जाति ब्राहम्ण जरिये कायम मुकाम–
   4/1. विद्यादेवी पत्नी बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी कोटा रोड इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।
   4/2. अशोक कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी कोटा रोड इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।
   4/3. मधुसूदन पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी कोटा रोड इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।
   4/4. उमेश कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी कोटा रोड इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।

4/5. मन्जू शर्मा पुत्री बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी कोटा रोड इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।

5. मेघराज आत्मज रामेश्वर जाति धाकड़ निवासी ग्राम शेरपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
6. मदनलाल आत्मज रामेश्वर जाति धाकड़ निवासी ग्राम शेरपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
7. परमानन्द आत्मज लक्ष्मीनारायण जाति खाती निवासी ग्राम आडागेला तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
8. मन्जु पुत्री सीताराम जाति मीणा निवासी सरोवर नगर इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
9. रूपनाथ आत्मज छीता नाथ जाति नाथ निवासी शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

वाद संख्या : 34/2022

1. बाबूलाल पुत्र रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
2. गोपाल (मृतक) पुत्र रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0) जर्ये कायम मुकाम–
   2/1. ओम प्रकाश पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   2/2. महावीर पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   2/3. मुकेश पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   2/4. दिनेश पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   2/5. विनोद पुत्र गोपाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   2/6. चन्द्रकान्ता पुत्री गोपाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
   2/7. सुनीता पुत्री गोपाल जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
3. भैरूलाल आत्मज रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
4. घींसी पुत्री रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
5. मंगला पुत्री रामसुक्खा जाति माली निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांटगण

बनाम

1. कृष्ण मुरारी पुत्र कुन्जबिहारी जाति ब्राहम्ण
2. पुरूषोत्तम पुत्र कुन्जबिहारी जाति ब्राहम्ण
3. निर्मला देवी पुत्री कुन्जबिहारी जाति ब्राहम्ण
4. बृजमोहन(मृतक) पुत्र कुन्जबिहारी जाति ब्राहम्ण जरिये कायम मुकाम–
   4/1. विद्यादेवी पत्नी बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी कोटा रोड इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।
   4/2. अशोक कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी कोटा रोड इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।

4/3. मधुसूदन पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी कोटा रोड इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।
4/4. उमेश कुमार पुत्र बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी कोटा रोड इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।
4/5. मन्जू शर्मा पुत्री बृजमोहन जाति ब्राहम्ण निवासी कोटा रोड इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)।
5. मेघराज आत्मज रामेश्वर जाति धाकड़ निवासी ग्राम शेरपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
6. मदनलाल आत्मज रामेश्वर जाति धाकड़ निवासी ग्राम शेरपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
7. परमानन्द आत्मज लक्ष्मीनारायण जाति खाती निवासी ग्राम आडागेला तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
8. मन्जु पुत्री सीताराम जाति मीणा निवासी सरोवर नगर इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
9. रूपनाथ आत्मज छीता नाथ जाति नाथ निवासी शहनावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

—रेस्पोडेन्टगण

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद सख्या 34/2022 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 13.06.2023 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 13.06.2023 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील स्वीकार फरमाई जावे।

2. उक्त अपील तारीख 25.08.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री घनश्याम नागर तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 01, 02, 4/2 से 4/4 की ओर से अभिभाषक श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की उक्त अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 13.06.2023 बहाल रखा जाता है।

3. इन अपीलों के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

यह डिकी आज तारीख 25.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा